न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :— श्री संजीव कुमार खेदर, आर ए एस

प्रार्थना पत्र संख्या :— 56/2023

उनवान

1. शंकर पुत्र नारायण जाति नाई निवासी देवन तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपुर (राज०)
2. ~~कानाराम पुत्र छोटूराम जाति गुर्जर निवासी खेरवाडी तहसील आमेर जिला~~ जयपुर।
3. गुल्ली देवी पत्नी भागीरथ जाति खाती निवासी देवन तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।
4. भैरूलाल प्रजापत पुत्र साधूराम प्रजापत जाति कुम्हार निवासी देवन तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।
5. गिरधारी पुत्र मांगु जाति बलाई निवासी देवन तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।

— अप्रार्थीगण

प्रा0 पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 एलआरएक्ट 1956

निर्णय दिनांक: 28.4.2025

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आ0 ख0 न0 2725/1201 रकबा 0.3600 है0, 1201/2 रकबा 0.1200 है0 कुल किता 02 कुल रकबा 0.4800 है0 वाकै ग्राम देवन तहसील शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित है जिसकी खातेदारी प्रार्थी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है जिस पर प्रार्थी काबिज रहकर काश्त करते चला आ रहा है। उक्त आ0 ख0 न0 2725/1201 रकबा 0.3600 है0, 1201/2 रकबा 0.1200 है0 कुल किता 02 कुल रकबा 0.4800 है0 वाकै ग्राम देवन तहसील शाहपुरा जिला जयपुर का तहसीलदार शाहपुरा के आदेश कमांक/सीमाज्ञान/2023/15 दिनांक 15.05.2023 की पालना में दिनांक 15.05.2023 को पडौसी खातेदारान व ग्राम के मौतबिरान की उपस्थिति में सीमाज्ञान किया गया है। प्रार्थी की भूमि को पडौसी काश्तकार भूमि को दबाते रहते है जिससे आये दिन विवाद चलता रहता है। प्रार्थी उक्त सीमाज्ञान के आधार पर प्रार्थी अपनी भूमि का मुताबिक सीमाज्ञान के पत्थरगढी करवाना चाहते है।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पेश होने पर रिपोर्ट सरिस्ता ली जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। दिनांक 28.07.2023 को श्री जितेन्द्र पलसानिया एड. ने प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी पेश किया। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 की तामील हो चुकी है जो बावजूद तामिल व सूचना के आदिनांक तक न्यायालय उपस्थित नही जिनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। प्रार्थी आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का जवांब पेश नहीं कर सीधी बहस हेतु निवेदन किये जाने पर वकील प्रार्थी आदेश 1 नियम 10 सीपीसी ने प्रकरण में पत्थरगढी आदेश पारित किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किये जाने पर प्रकरण मे एक पक्षीय बहस हेतु रखा गया।

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला–जयपुर (राज.)

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी * शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान *

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। हमने वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो, एवं फर्द मौका सीमाज्ञान का अवलोकन किया गया। दिनांक 15.5.2023 को प्रार्थी की भूमि का पटवारी हल्का देवन के द्वारा सीमाज्ञान करवाया गया है। प्रार्थी के द्वारा अपनी भूमि की सुरक्षा एवं आस पास के खातेदारों द्वारा सीमाचिन्ह के अभाव में सींव डोल काटने से आये दिन होने वाले विवादों की वजह से पत्थरगढी करवाना चाहती है। पत्थरगढी करवाना एक खातेदार/काश्तकार का अधिकार है तथा इसके द्वारा अपनी सीमा के विवाद, सीमा दबाना आदि अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचाव का यह एक उपाय है जिसके अभाव में काश्तकार अपनी सीमा चिन्ह से सुरक्षा आदि उपाय नहीं कर सकते है। प्रार्थी के भूमि की मौके पर पत्थरगढी नही होने व असंतुष्ट होने के कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करना उचित समझते है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा को आदेशित किया जाता है कि आ0 ख0 न0 2725/1201 रकबा 0.3600 है0, 1201/2 रकबा 0.1200 है0 कुल किता 02 कुल रकबा 0.4800 है0 वाकै ग्राम देवन तहसील शाहपुरा जिला जयपुर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि का पडौसी खातेदारान को सुचित करते हुए एवं कब्जे से संबंधित विवाद होने पर कब्जा सुपुर्द नही करते हुए उनकी उपस्थिति में खातेदारी भूमि का मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 15.05.2023 के अनुसार यदि पूर्व में पत्थरगढी नही हुई हो तो पत्थरगढी करवाये जाने का तदानुसार तहसीलदार शाहपुरा को आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28.4.2025 को सरै इजलास सुनाया गया ।

(संजीव कुमार)
उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला–जयपुर (राज.)